08.08.2016-

पत्रावली पेश हुई। प्रा0 पत्र 17 ग-2 पर वादी व प्रतिवादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रा0 पत्र 17 ग-2 पर उभय पक्षों को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

अदालत अमीन द्वारा प्रस्तुत स्थल निरीक्षण आख्या पर मौखिक आपत्ति करते हुए वादी व प्रतिवादी द्वारा यह कथन किया गया है कि अमीन ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा अमीन ने जानबूझकर दिशाएं नहीं दी है।

अमीन की रिपोर्ट का अवलोकन किया। अमीन रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी व प्रतिवादी द्वारा की गई समस्त आपत्तियां अमीन रिपोर्ट में दर्शित रिडिंग से सम्बन्धित नहीं है और न ही उक्त रिडिंग में दी गई किसी माप को गलत बताया गया है तथा शेष की गई आपत्तियां तथ्यात्मक प्रकृति की है तथा उभय पक्षों का साक्ष्य पत्रावली पर आना अभी शेष है तथा उभय पक्षों को उक्त आपत्तियों को अपने साक्ष्य के माध्यम से साबित करने का अवसर विद्यमान है उक्त अमीन रिपोर्ट उभय पक्षों की उपस्थिति में तैयार की गई है तथा अमीन रिपोर्ट में दर्शित रिडिंग के सम्बन्ध में कोई आक्षेप उभय पक्षों द्वारा नहीं किया गया है। अतः अदालत अमीन आख्या साक्ष्याधीन पुष्ट किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अमीन आख्या 17 ग-2 साक्ष्याधीन पुष्ट की जाती है पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 30.08.16 को पेश हो।

(रविकांत यादव)
सिविल जज (जू0 डि0), मऊरानीपुर,